कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव(छ.ग.)

॥ प्रपत्र-II ॥

ज्ञाप क्र./4463/अनु.-मान्य./2022-23 राजनांदगांव, दिनांक 04/07/2023

प्रति,

अध्यक्ष/ सचिव प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्या पीठ समिति

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के तहत विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र की तारीख — के संदर्भ और इस संबंध मे विद्यालय के साथ पश्चात् वर्ती पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत मैं, प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्या पीठ हिं.मा.डोंगरगढ़ को कक्षा नर्सरी से पांचवी तक संचालन हेतु दो वर्षो की अवधि के लिये जो दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2025 तक प्रभावशील रहेगा, अनंतिम मान्यता प्रदान करने लिये संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के पुरा किये जाने के अधीन है :-

1- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा VII के पश्चात् की मान्यता/संबद्धता के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के संबंधों का पालन करेगा।

3- विद्यालय कक्षा एक मे (या यथा स्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा-विहिन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों को अनुपालन किया जाएगा।

4- पैरा 3 मे निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसे प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5- सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बच्चे या उनके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।

6- विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबुत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः-

(I)- प्रवेश दिये गए किसी भी बच्चे को विद्यालय मे उस की प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नही किया जाएगा या उस विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।

(II)- कि सभी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।

(III)- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(IV)- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(V)- अधिनियम के उपबंधों च के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

(VI)- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे,

(VII)- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सॅनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैः-

(I)-विद्यालय परिसर का क्षेत्र फल कुल निर्मित का क्षेत्रफल,

(II)- खेल का मैदान का क्षेत्रफल,

(III)-कक्षाओं की संख्या,

(IV)-प्रधान पृाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष,

(V)-बालकों और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय/पेयजल सुविधा मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोईया,

(VI)-बाधारहित पहुँच,

(VII)-अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकुद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

प्राचार्या
प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ
चन्द्रगिरि डोंगरगढ़ (छ.ग.)

क्रमशः .02..पर